प. क्र. 4887 दिनांक 17.06.1998

तृप्ति समाज सेवी संस्था

प्रशासनिक कार्यालय– रवि भवन, जूनेजा स्टील गली, रत्नाबांधा रोड, धमतरी (छ0ग0)
मो. नं0 – 8349167337, 9009205000, फोन.नं. 8085173522
E-mail:- tsssantha@yahoo.co.in

वार्षिक प्रतिवेदन
2017–18

01 विशेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी :–

एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत विषेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी स्थापित करने हेतु संस्था द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव के जिला कलेक्टर की अनुषंसा पश्चात् व राज्य परियोजना के स्वीकृति समिति की बैठक के तहत् पत्र क्रमांक/3070/मबावि/ICPS/प्रा.पं.प्र.प./16–17 दिनांक 08/02/2017 तारीख के माध्यम से 10 बच्चों की क्षमता षिषु गृह (0–6 वर्ष तक बच्चें रखे जाने हेतु) हमारी संस्था तृप्ति समाज सेवी संस्था को विषेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी संचालित करने हेतु आदेषित किया गया है।

इस योजना के संचालन के लिए संस्था को किशोर न्याय(बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41(1) के तहत् दत्तक ग्रहण एजेंसी के रूप में मान्यता प्रदान की गई हैं।

विषेषीकृत दत्तक ग्रहण एजेंसी में ऐसे बच्चों को आश्रय दिया जाता हैं। जो कि परिवार से दूर हो जाते है, कई बच्चें जिनको माताएं जन्म तो देती है पर सामाजिक डर से कही छोड आते है, कई गरीब माता–पिता जो अपने बच्चों का लालन–पालन नहीं कर सकतें है। अपनी स्वेच्छा से एजेंसी को दे जाते है।

ऐसे बच्चों का हमारी संस्था दत्तक ग्रहण एजेंसी द्वारा पालन –पोषण कर ऐसे दम्पत्ति जो कि बाल सुख से वंचित रहतें हैं। उनके आवेदन की प्रकिया का पालन कर दत्तक ग्रहण एजेंसी की अवधारणा को मूर्तरूप प्रदान करने , निःसंतान दम्पत्ति हेतु संतान सुख तथा बच्चों को एक अच्छा परिवार वातावरण , माता–पिता का प्यार , सामाजिक परिवेष मिल सके तथा उनका भविष्य उज्जवल बन सके इस हेतु हमारी संस्था इस दिषा में सतत् प्रयासरत हैं।

संस्था द्वारा संचालित दत्तकग्रहण एजेंसी महासमुंद में जिला बाल संरक्षण समिति द्वारा जिन बच्चों के देख–रेख हेतु दायित्व दिया गया है जिसमें जानकारी निम्नानुसार हैं।

क.	बालक/बालिका का नाम	उम्र	लिंग
1	कु. पायल	7 वर्ष	बालिका
2	अंशु	01 वर्ष 06 माह	बालक
3	छोटू घासू	6 वर्ष	बालक
4	खुशी	01 वर्ष 06 माह	बालिका
5	गरिमा	01 वर्ष	बालिका
6	गणेशु	10 वर्ष	बालक
7	अभि	01 वर्ष	बालक
8	शिवा	10 माह	बालक
9	दिव्या	06 माह	बालिका

02 आई.डब्ल्यू.एम.पी (IWMP) :–

संस्था द्वारा एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत महासमुंद जिले के विकास खण्ड सरायपाली में IWMP-06 चारभाठा परियोजना का संचालन वर्ष 2010–11 से लगातार किया जा रहा है, परियोजना अंतर्गत 06 ग्राम पंचायत के 19 ग्राम सम्मिलित है। संचालित परियोजना का उपचारित क्षेत्रफल रकबा 3354 हेक्टे है, जिसकी स्वी. लागत 402.48 लाख रू. हैं। परियोजना अतंर्गत संस्था द्वारा परियोजना क्षेत्र के स्वसहायता समूहो तथा जरूरतमद व्यक्तिगत हितग्राहीयों को उनके आर्थिक, सामाजिक विकास हेतु उनको आयमुलक, रोजगार मूलक गतिविधियों से जोड़कर व क्षमता निर्माण हेतु अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है साथ ही परियोजना क्षेत्र में जल एवं मृदा संरक्षण हेतु अनेक कार्य किये गये है निर्मित संरचनाओं से कृषको को लाभ परिलक्षित हैं।

कार्य का नाम –नाला पथ उपचार कार्य

कार्य का नाम – चेकडेम निर्माण

वर्ष 2016–17 में स्वीकृत कार्य जो कि प्रगतिरत थे सत्र् 2017–18 में पूर्ण किया गया है विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	स्वीकृत कार्य का नाम	संख्या	स्वी. लागत (लाख में)	सिंचित रकबा (हे.)	लाभान्वित
1	चेकडेम निर्माण कार्य	10	29.23	32	20
2	नाला पथ उपचार कार्य	18	64.94	58	64
3	लूज बोल्डर चेक निर्माण	02	3.37	-	
योग		**30**	**97.54**	**90**	**84**

कार्य का नाम – लूज बोल्डर चेक **कार्य का नाम – चेकडेम निर्माण**

1) चेकडेम निर्माण कार्य :– वर्ष 2017–18 मे परियोजना अंतर्गत सम्मिलित ग्रामों में कुल 10 चेकडेम निर्माण कार्य हेतु 29.23 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। चेकडेम निर्माण कार्य हेतु ऐसे स्थलो का चयन किया गया है जिससे अधिक से अधिक कृषको को सिंचाई हेतु लाभ प्राप्त हो सके साथ ही पानी का भंडारण होने से भू जल स्तर में भी वृद्धि हो सके। स्वीकृत निर्माण कार्य किये जाने से लगभग 31 कृषको के 32 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होने की संभावना बनी हैं।

क्र.	मा.वा.शेड का नाम	कार्य की संख्या	स्वी. लागत (लाख में)	सिंचित रकबा (हे.)	लाभान्वित
1	चारभांठा	02	5.88	10	08
2	बांझापाली	03	8.82	08	06
3	पंडरीपानी	02	5.74	05	03
4	घाटकछार	02	5.80	06	03
5	बंदलीमाल	01	2.99	03	02
कुल योग		**10**	**29.23**	**32**	**22**

मा.वा.शेड. – चारभांठा **मा.वा.शेड. – बांझापाली**

2) नाला पथ उपचार कार्य (नाला पिचिंग) :– वर्ष 2017–18 में परियोजना अंतर्गत सम्मिलित ग्रामों में 19 नग नाला पथ उपचार कार्य स्वीकृत किये गये थे, जिसकी लागत 68.01 लाख रूपये थी। स्वीकृत कार्य का निर्माण पूर्व में निर्मित चेकडेम के पास जल भंडारण की क्षमता वृद्धि के उद्देश्य से किया गया हैं। जिससे सफलता भी प्राप्त हो रही हैं। सभी निर्मित स्थलो पर जल भंडारण लगभग 71 कृषको को लगभग 88 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र सिंचित किये जाने हेतु लाभ प्राप्त हो रहा हैं। निर्माण कार्य किये जाने से नालो में भू क्षरण रूका है जिससे चेकडेम का स्थायित्व बना है एवं जल भंडारण होने से भू जल स्तर में भी वृद्धि होने की संभावना बनी हैं।

क्र.	मा.वा.शेड का नाम	कार्य की संख्या	स्वी. लागत (लाख में)	सिंचित रकबा (हे.)	लाभान्वित
1	चारभांठा	04	11.24	15	12
2	बांझापाली	02	5.83	06	04
3	पंडरीपानी	05	13.52	18	12
4	घाटकछार	07	17.57	25	16
5	चिवराकुटा	05	12.43	12	10
6	बंदलीमाल	03	7.42	12	09
कुल योग		**26**	**68.01**	**88**	**63**

मा.वा.शेड – पडंरीपानी
ग्राम का नाम – पंडरीपानी

मा.वा.शेड – पण्डरीपानी
ग्राम का नाम – पण्डरीपानी

मा.वा.शेड – चांरभाटा
ग्राम का नाम – सिंगबहाल

मा.वा.शेड – घाटकछार
ग्राम का नाम – माकरमुता

3) लूज बोल्डर चेक :– वर्ष 2017–18 में परियोजनांतर्गत सम्मिलित जलग्रहण समिति, चारभाठा व चिवराकुटा में भू–क्षरण कम करने के उद्देश्य से लूज बोल्डर चेक कार्य हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिसकी लागत 3.37 लाख रूपये हैं। जल ग्रहण समिति चारभांठा में 1.41 लाख रूपये की लागत से 10 नग एवं जलग्रहण समिति चिवराकुटा में 1.96 लाख रूपये की लागत से 06 नग लूज बोल्डर चेक का निर्माण किया गया है जिससे निर्मित स्थल पर भू–क्षरण में कमी आई हैं।

क.	मा.वा.शेड का नाम	कार्य की संख्या	स्वी. लागत (लाख में)
1	चारभांठा	10	1.41
2	चिवराकुटा	06	1.96
योग		**16**	**3.37**

मा.वा.शेड – चारंभाठा, ग्राम – सिंगबहाल
कार्य का नाम – लूज बोल्डर चेक

4) सिंचाई नाली निर्माण कार्य :– वर्ष 2017–18 में परियोजनांतर्गत सम्मिलित जलग्रहण समिति, चारभाठा में 2.86 लाख की लागत से 210 m सिंचाई नाली निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति प्राप्त हुआ है। स्वीकृति कार्य के निर्माण में लगभग 08 कृषको के 28 एकड़ भूमि कृषि कार्य हेतु सिंचित होने की संभावना बनी हैं।

मा.वा.शेड – चारंभाठा, ग्राम – सिंगबहाल
कार्य का नाम – सिंचाई नाली

03 बेटी बचाओ बेटी पढाओ कार्यक्रम :-

महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर छ.ग. के द्वारा जनवरी माह में आयोजित कार्यक्रम में संस्था द्वारा सहयोगी के रूप में कार्य किया गया, जिसमें संस्था की अध्यक्ष श्रीमति प्रेमिन साहू बालिकाओ के साथ कार्यक्रम में उपस्थित रही एवं शासन द्वारा किये जा रहे अभिनव पहल में सहभागिता दर्ज करायी। कार्यक्रम के समापन पश्चात् संस्था के कार्यालय में समस्त पदाधिकारीयो एवं संस्था के सदस्यों द्वारा बैठक रखकर शासन के इस कार्यक्रम का सुनियोजित ढंग से प्रचार-प्रसार करने का संकल्प लिया गया।

बेटी बचाओं बेटी पढाओ की रैली कार्यक्रम

04 महिला दिवस पर विशेष कार्यक्रम :-

संस्था द्वारा राष्ट्रीय महिला दिवस (08 मार्च) के अवसर पर विगत वर्षो की भांति इस वर्ष भी ग्राम पंचायत - जमरांव, वि.ख. पाटन, जिला- दुर्ग में महिला सशक्तिकरण हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम के सरपंच श्रीमति दिया साहू द्वारा किया गया आयोजित कार्यक्रम में ग्राम पंच, कृषक एवं महिला स्व सहायता समुह के सदस्यो तथा अन्य महिलाओं की उपस्थिति रही।

महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम

कार्यक्रम में संस्था की **अध्यक्ष श्रीमति प्रेमिन साहू** ने उपस्थित आमजन को संबोधित करते हुए महिलाओं को समानता के अधिकार तथा शासन की अन्य योजनाओं से अवगत कराया तथा लिंग भेद मिटाकर साथ में मिल जुलकर काम करने हेतु प्रेरित किया। श्रीमति प्रेमिन साहू द्वारा महिलाओं को उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार एवं अत्याचार के खिलाफ एक जुट मुकाबला करने हेतु सक्षम बनने की बात कही तथा शासन द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने व अपनी सहभागिता देने की अपील के साथ कार्यक्रम समापन की घोषणा की गई।

05 विश्व पर्यावरण दिवस (05 जून 2017) :–

संस्था द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 05 जून 2017 को ग्राम–पंचायत चिवराकुटा ग्राम – दिवानगुड़ी विकासखण्ड सरायपाली, जिला – महासमुंद में पर्यावरण जागरूकता हेतु प्रचार–प्रसार रैली का आयोजन किया गया। जिसमें ग्राम सचिव श्री प्रकाश जी माइक्रो वाटरशेड सचिव श्री भागीरथी सिदार एवं ग्राम रोजगार सहायक श्री अमित साहू जी की सहभागिता रही।

वृक्षारोपण कार्यक्रम

आयोजित कार्यक्रम में पर्यावरण सुधार हेतु ग्रामीणों को जानकारी प्रदाय की गई साथ ही पर्यावरण सुधार में वृक्षो के महत्व पर प्रकाश डाला गया। पर्यावरण संतुलन बनाये रखने हेतु वृक्षारोपण किये जाने तथा वृक्षो की कटाई न किये जाने हेतु अपील किया गया। कार्यक्रम में संस्था के सचिव श्री भरत लाल साहू द्वारा वृक्षारोपण किये जाने हेतु प्रेरित किया गया तथा ग्रामवासीयों के सहयोग से वृक्षारोपण कार्य संपादित कर कार्यक्रम का समापन किया गया।

06 नशा मुक्ति अभियान :–

संस्था द्वारा ग्राम पंचायत – चारभांठा, पंडरीपानी व घाटकछार, विकासखण्ड – सरायपाली जिला– महासमुंद(छ.ग.) में नशा मुक्ति हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संबंधित ग्राम पंचायतो में नशे की संलिप्तता होने के कारण वहां होने वाले विकास कार्यो में बाधा होने को ध्यान में रखकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

नशा मुक्ति रैली कार्यक्रम

आयोजित कार्यक्रम में संस्था के सदस्यों एवं महिला स्व सहायता समुह के सदस्यो द्वारा प्रचार–प्रसार के माध्यम से नशे की लत से होने वाले क्षति जैसे शाररिक, मानसिक व आर्थिक क्षति से अवगत कराया गया। साथ ही नशे के कारण आने वाले पीढी पर पडने वाले दुष्प्रभाव से भी अवगत कराया गया तथा संस्था की अध्यक्ष श्रीमति प्रेमीन साहू द्वारा '' **नशा नाश की जड़''** जैसे नारो का महत्व समझाते हुए ग्राम की महिलाओं को नशे का विरोध करने हेतु एकजूट होकर नशा समाप्ति कराने की अपील किया गया तत्पश्चात् कार्यक्रम का समापन किया गया।

07 स्वच्छता जागरूकता अभियान :–

संस्था द्वारा विकासखण्ड सरायपाली, जिला – महासमुंद में संचालित एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम IWMP- 6 चारभांठा अंतर्गत सम्मिलित ग्राम पंचायत– चारभांठा, घाटकछार, चिवराकुटा, बंदलीमाल, बांझापाली व पंडरीपानी में गठित जलग्रहण समिति के सदस्यो के सहयोग से संबंधित ग्राम पंचायतो में स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया कार्यक्रम का नेतृत्व **परियोजना अधिकारी श्री भरत लाल साहू** द्वारा किया गया। आयोजित कार्यक्रम में गंदगी से होने वाले गंभीर बिमारीयों से अवगत कराया गया।

साथ ही स्वच्छ भारत अभियान के महत्व को समझाते हुए योजना अंतर्गत निर्माण किये गये शौचालयों के महत्व से अवगत कराते हुए उनके उपयोग किये जाने हेतु अपील किया गया।

ग्राम पंचायत चिवंराकुटा के ग्राम की कच्ची सड़क (गली) की सफाई की गई तथा सदैव तालाबों, नलकूपो तथा सार्वजनिक स्थलो को साफ–सफाई रखने हेतु ग्रामवासीयों को संकल्प दिलाया गया। तत्पश्चात् स्वच्छ भारत, स्वस्थ्य भारत के नारे के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया।

स्वच्छता जागरूकता